1424/23-12-2021

"प्रदर्श–स"

–:प्रमाण पत्र:–

मेसर्स **सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा** के द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु कांकेर जिला के वन मंडल **भानुप्रतापपुर पूर्व** के **ग्राम भण्डारडिगी** में स्थित **राजस्व वन भूमि खसरा नं. 54 रकबा 4.83 हे**. जिसका कुल रकबा 4.83 हे. राजस्व वन भूमि है, जिन्हे **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु** उपयोग किया जाना है, के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु **राजस्व वन भूमि खसरा नं. 54 रकबा 4.83 हे.** वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **निरंक** हे. एवं राजस्व वन भूमि **4.83** हे. कुल **भूमि 4.83 हेक्टेयर** जो **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु** प्रत्यावर्तन की जानी है, तथा **ग्राम भण्डारडिगी तहसील दुर्गूकोंदल में स्थित है,** तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **25/11/2021** **(प्रदर्श–''अ'')** एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन ("प्रदर्श–ब") पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **ग्राम पंचायत भण्डारडिगी में** ग्राम सभा के अध्यक्ष **श्री लच्छूराम नरेटी** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **25/11/2021** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है ।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे0में)
1.	भण्डारडिगी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमे ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **25/11/2021** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006''** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक. **25/11/2021** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है ।

दिनांक 23/12/2021

नाम (चंदन कुमार)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

Annexure-I

Form I
(For Linear Projects)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. --177--------------- Date --23-12-2021--

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India`s letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **4.83 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Assistant Commissioner Tribal Development Kanker** in Uttar Bastar Kanker district for **The Establishment of Eklavya Model Residential School** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Bhandardigi** villages(S) in **Durgukondal Tehsils**.

This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.83** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.

(b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.

(Chandan Kumar)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Annexure-II

Form II
(For Project other than Linear projects)
Government of
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. 178 Date 23-12-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India`s cr No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **4.83** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Assistant Commissioner Tribal Development Kanker** (name of user agency) For **The Establishment of Eklavya Model Residential School** in Uttar Bastar Kanker District falls within jurisdiction of **Bhandardigi Village in Durgukondal Tehsil.** This area does not contain any non-forest revenue land.
This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.83** hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to S.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bhandardigi** villages(s) is enclosed as annexure **I**.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of the gram sabha present;

(e) The Tank for forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) to the FRA.

Encl.....As above.

(Chandan Kumar)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

वन भूमि अधिकार पत्र मान्यता के संबंध में अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनॉक 10/12/2021

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 तथा यथा संशोधित नियम 2012 के क्रियान्यवयन के तारतम्य में आज दिनॉक 10/12/2021 को अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर श्री जितेन्द्र कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई । बैठक में निम्नानुसार समिति के सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र0	नाम व पदनाम	अनुविभाग स्तरीय समिति
1	2	3
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर	अध्यक्ष
2.	अनुविभागीय अधिकारी (वन) भानुप्रतापपुर	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर	सदस्य
4.	श्री सुनाराम तेता (उपाध्यक्ष) जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर ग्राम बोदेली भानुप्रतापपुर	सदस्य
5.	श्री धनीराम ध्रुव सदस्य जनपद पंयायत दुर्गूकोंदल (कोडेकुर्से)	सदस्य
6.	श्रीमति अंजली ठाकुर सदस्य जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर ग्राम नरसिंगपुर	सदस्य

आवेदक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कांकेर के द्वारा ग्राम भण्डारडिगी में एकलव्य आवसीय स्कूल के निर्माण हेतु खसरा नं. 54, रकबा 4.83 हेक्टेयर छोटे झाड जंगल मद स्थल निरीक्षण उपरांत ग्रामसभा से प्राप्त प्रदर्श "ब" से सहमत होते हुए रकबा 4.83 हेक्टेयर क्षेत्र का स्कूल निर्माण को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2 (3) के तहत् व्यपवर्तन के लिए अनुविभाग स्तरीय वनाधिकार समिति भानुप्रतापपुर से अनुशंसा कर प्रदर्श "स" में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), भानुप्रतापपुर

अनुविभागीय अधिकारी(पूर्व वन), वन विभाग भानुप्रतापपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर

श्री सुनाराम तेता (उपाध्यक्ष) जनपद पंयायत भानुप्रतापपुर ग्राम बोदेली भानबेडा

श्री धनीराम ध्रुव सदस्य जनपद पंयायत दुर्गूकोंदल (कोडेकुर्से)

श्रीमति अंजली ठाकुर सदस्य जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर ग्राम नरसिंगपुर

प्रदर्श "ब"

ग्राम सभा ...अंडार डिंडी... की बैठक दिनांक 25/11/2021

का कार्यवाही विवरण

ग्राम:– अंडार डिंडी

स्थान:– पंचायत भवन

आज दिनांक 25/11/2021 को ग्राम अंडार डिंडी के ~~सरपंच~~/अध्यक्ष श्री/~~श्रीमति~~ लटकूराम नरेटी की अध्यक्षता मे ग्राम सभा की बैठक आहुत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के 184 सदस्य 60% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा की गई।

1. ग्राम अंडार डिंडी मे आवेदक सहायक आयुक्त आ. विकास ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपर्वतन हेतु — हे. वन भूमि 4.83 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.83 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्त्त चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उददेश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा बैठक मे विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानो पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि एकलव्य विद्यालय निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, मे कोई भी आदिवासी गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य परम्परिक गतिविधि नही संण्दित्त कर रहे है। एवं कोई भी वन अधिकारी (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आ[illegible]सी या गैर आदिवासी वनवासी के इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर आदिवासी वनवासी व्यक्तियों को अधिकार मान्यता पत्र वितरण किया गया है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1.	अंडार डिंडी	–	–

अतः यह एकमत से ग्राम सभा मे निर्णय लिया गया है कि, — हे. वन भूमि 4.83 हे. राजस्व वन भूमि कुल योग 4.83 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स सहायक आयुक्त (आवेदक) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर को अन्य प्रचलित नियमो एवं प्रावधानों अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर [signature]

नाम [illegible]

[stamp] [signature] अध्यक्ष [signature]